क्रम संख्या–53 पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 11 अप्रैल, 2018 ई0

चैत्र 21, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 183 / XXXVI(3) / 2018 / 39(1) / 2018

देहरादून, 11 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2018' पर दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 15 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 2008, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) तथा उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।
(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 2008

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंन्शन) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "तीस हजार" रख दिये जायेगें।

धारा 4 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "साठ हजार"' के स्थान पर शब्द "एक लाख पचास हजार' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 क का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 4 क में शब्द "तीन हजार" के स्थान पर शब्द बारह हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में –
(क) उपधारा (1) में शब्द "दो लाख सत्तर हजार" के स्थान पर शब्द "तीन लाख पच्चीस हजार" रख दिये जायेंगे।
(ख) उपधारा (2) में शब्द " एक लाख" के स्थान पर शब्द "दो लाख बहत्तर हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 11 में –
(क) उपधारा (1) में शब्द "दो हजार" के स्थान पर शब्द "तीन हजार" रख दिये जायेंगे। दैनिक भत्ता

धारा 12 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द "दो हजार" के स्थान पर शब्द "बारह हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का प्रतिस्थापन

8. (1) मूल अधिनियम की धारा 15 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी–

राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो सदस्य है, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, या जो सभा के सदस्य के रूप में पद पर आसीन रहा हो, निवास स्थान का निर्माण या क्रय करने के लिए रूपया पचास लाख से अनधिक एवं वाहन क्रय करने के लिए रूपया पन्द्रह लाख से अनधिक, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अनुसार, जैसी विहित की जाए, प्रतिसंदेय अग्रिम ऋण स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

परन्तु, उपबंध यह है कि ब्याज की दरें भारतीय स्टेट बैंक की दरों के अनुरूप होगी;

परन्तु, यह और कि यदि किसी सदस्य द्वारा दिये गये अग्रिम को ब्याज सहित वापस कर दिया गया हो तो ऐसे किसी सदस्य को उसके अनुरोध पर पुनः अग्रिम की सुविधा अनुमन्य की जा सकती है।

धारा 17 का प्रतिस्थापन

9. मूल अधिनियम की धारा 17 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् "सभा का प्रत्येक सदस्य या पूर्व सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड च में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या न हो, की स्वयं तथा परिवार के सदस्यों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की दरें केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा (सी0जी0एच0एस0) की दरों पर अनुमन्य होगी एवं विदेश में चिकित्सा कराये जाने की सुविधा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर अनुमन्य होगी।

धारा 20 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में –

(क) उपधारा (1) में शब्द "बीस हजार " के स्थान पर शब्द "चालीस हजार" रख दिये जायेंगे।

(ख) विद्यमान परन्तुक में जहॉ शब्द "एक हजार" आया है वहॉ शब्द " दो हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 23 क के स्पष्टीकरण –2 के पश्चात् के परन्तुक का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 23 क के स्पष्टीकरण –2 के पश्चात् के परन्तुक में शब्द रूपया "दस हजार" के स्थान पर शब्द रूपया "बीस हजार" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त)

धारा 2 का संशोधन

12. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 2 की उपधारा (1) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मासिक वेतन में शब्द "चौव्वन हजार" के स्थान पर शब्द "एक लाख दस हजार" रख दिये जायेंगे।

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009

धारा 3 का संशोधन

13. उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द "पैतालीस हजार" के स्थान पर शब्द "नब्बे हजार" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "बयालीस हजार" के स्थान पर शब्द "चौरासी हजार" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) में शब्द "छत्तीस हजार" के स्थान पर शब्द "बहत्तर हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में शब्द "तीस हजार" के स्थान पर शब्द "चालीस हजार" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

No. 183/XXXVI(3)/2018/39(1)/2018
Dated Dehradun, April 11, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttrakhand State Legislative Assembly Miscellaneous (Amendment) Bill, 2018'** (Adhiniyam Sankhya 15 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 10 April, 2018.